अनुदान संख्या 3 – पशुपालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग
GRANT No. 3–DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1144,20,00	1144,23,00	1055,55,66	–88,67,34
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				79,07,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		17,80,00	1,92,12	–15,87,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				15,33,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2403'' पशु पालन	Major Head “2403” Animal Husbandry				
मू.	O.	38583.00	31782.13	31110.00	–672.13
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	–6802.87			
मुख्य शीर्ष ''2404'' डेरी विकास	Major Head “2404” Dairy Development				
मू.	O.	27165.00	32250.20	32086.33	–163.87
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	5084.20			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2405'' मछली पालन	Major Head "2405" Fisheries				
मू.	O.	14111.00	10564.66	10465.69	–98.97
पु.	R.	–3546.34			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	9100.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–9100.00			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	22607.00	28907.77	28882.84	–24.93
पु.	R.	6300.77			
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्र. की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	1664.00	1883.52	1881.82	–1.70
पु.	R.	219.52			

(I) 12190.00 लाख रु. का प्रावधान उनचास शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 11369.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(I) Provision of Rs.12190.00 lakhs remained wholly unutilised under forty nine heads; of these Rs.11369.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" –

(क) ''पशुपालन - गाय और भैंस विकास'' -

(i) ''गाय और भैंस प्रजनन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 2180.00 लाख रु.;

(ii) ''पशुओं की गणना करने के लिए राज्यों को सहायता'' - 600.00 लाख रु.;

(iii) ''पशु बीमा के लिए सहायता'' - 500.00 लाख रु.;

(ख) ''पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य'' -

(i) ''पशु रोग नियंत्राण'' - 710.00 लाख रु.;

(ii) ''एवियान इंफ्लुएंजा संबंधी तैयारी नियंत्राण और रोकथाम'' - 1200.00 लाख रु.;

(ग) ''पशु पालन - चारा और चरागाह विकास - चारा और चरागाह विकास'' - 349.00 लाख रु.;

(घ) ''पशु पालन - सूअर बाड़ा विकास - एकीकृत सूअर बाड़ा विकास के लिए राज्यों को सहायता'' - 450.00 लाख रु.;

(ङ) ''पशु पालन - कुक्कुट विकास'' -

(i) ''कुक्कुट विकास के लिए सहायता'' - 300.00 लाख रु.;

(ii) ''ग्रामीण पिछला अहाता कुक्कुट विकास'' - 250.00 लाख रु.;

(च) ''डेरी विकास - डेरी विकास परियोजनाएं'' -

(i) ''गहन डेरी विकास कार्यक्रम'' - 340.00 लाख रु.;

(ii) ''डेरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि'' - 400.00 लाख रु.;

(a) "Animal Husbandry –Cattle and Buffalo Development" -

(i) "National Project on Cattle and Buffalo Breeding" –Rs.2180.00 lakhs;

(ii) "Assistance to States in conduct of Livestock census" - Rs.600.00 lakhs;

(iii) "Assistance for Livestock Insurance" – Rs.500.00 lakhs;

(b) "Animal Husbandry - Veterinary Services and Animal Health" –

(i) "Animal Disease Control" - Rs.710.00 lakhs;

(ii) "Preparedness Control and Containment of Avian Influenza" - Rs.1200.00 lakhs;

(c) "Animal Husbandry- Feed and Fodder Development - Feed and Fodder Development"– Rs.349.00 lakhs;

(d) "Animal Husbandry-Piggery Development - Assistance to States for Integrated Piggery Development"– Rs.450.00 lakhs;

(e) "Animal Husbandry – Poultry Development" -

(i) "Assistance for Poultry Development" – Rs.300.00 lakhs;

(ii) "Rural Backyard Poultry Development" - Rs.250.00 lakhs;

(f) "Dairy Development-Dairy Development Projects" -

(i) "Intensive Dairy Development Programme" - Rs.340.00 lakhs;

(ii) "Dairy/Poultry Venture Capital Fund" - Rs.400.00 lakhs;

(छ) ''मत्स्य पालन - अंत:स्थलीय मत्स्य पालन - अंत:स्थलीय एक्वाकल्चर और मत्स्य पालन'' - 290.00 लाख रु.; और

(ज) ''मत्स्य पालन - अन्य व्यय - राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड'' - 1000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तेरह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''सूअर बाड़ा विकास'' -

(i) ''एकीकृत सूअरबाड़ा विकास के लिए राज्यों को सहायता'' - 428.00 लाख रु.;

(ii) ''जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का एकीकृत विकास'' - 902.00 लाख रु.; और

(ख) ''कुक्कुट विकास - ग्रामीण पिछला अहाता - कुक्कुट विकास'' - 1470.00 लाख रु.।

उपुर्यक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2403'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य'' -

(क) ''पशु संगरोध प्रमाणीकरण सेवाएं'' - 160.02 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय भवन के निर्माण और रख-रखाव के लिए केंद्रीय लोक विभाग द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(g) "Fisheries- Inland Fisheries- Development of Inland Aquaculture and Fisheries" – Rs.290.00 lakhs; and

(h) "Fisheries – Other Expenditure - National Fisheries Development Board" – Rs.1000.00 lakhs.

Provisions under the above thirteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head '3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Piggery Development" -

(i) "Assistance to States for Integrated Piggery Development" – Rs.428.00 lakhs;

(ii) "Integrated Development of Small Ruminants" - Rs.902.00 lakhs; and

(b) "Poultry Development- Rural Backyard - Poultry Development" – Rs.1470.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-approval of the scheme.

(II) Under Major Head "2403" - savings occurred under the following heads:–

(A) "Veterinary Services and Animal Health" –

(a) "Animal Quarantine Certification Services" – saving of Rs.160.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to less utilisation of funds by Central Public Works Department for construction and maintenance of office building.

(ख) ''राष्ट्रीय पशुचिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र'' - 952.22 लाख रु. की बचत (1064.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''एवियान इन्फ्लूएंजा संबंधी तैयारी नियंत्रण और रोकथाम'' - 4265.78 लाख रु. की बचत (7800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने, उपस्करों की कम खरीद किए जाने की वजह से बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना के अंतर्गत कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) ''गाय और भैंस विकास'' -

(क) ''गाय और भैंस प्रजनन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 645.00 लाख रु. की बचत (15202.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आत्महत्या प्रवण 30 जिलों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''पशुधन बीमा के लिए सहायता'' - 1383.15 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध होने और राज्य द्वारा बीमा कंपनी के चयन में विलंब होने की वजह से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) ''चारा और चरागाह विकास - चरागाह और चारा विकास'' - 229.12 लाख रु. की बचत (2868.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आत्महत्या प्रवण 31 जिलों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) ''प्रशासनिक अन्वेषण और सांख्यिकी - पशुधन की गणना करने में बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता'' - 104.48 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2404'' - ''दिल्ली दुग्ध योजना'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(b) "National Veterinary Biological Products Quality Control Centres" - saving of Rs.952.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1064.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(c) "Preparedness Control and Containment of Avian Influenza" - saving of Rs.4265.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7800.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, less requirement under Externally Aided Project owing to less purchase of equipment.

(B) "Cattle and Buffalo Development" -

(a) "National Project for Cattle and Buffalo Breeding" – saving of Rs.645.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15202.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from 30 suicide prone districts.

(b) "Assistance for livestock Insurance" – saving of Rs.1383.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with the implementing agencies and receipt of less proposal owing to delay in selecting of insurance company by the state.

(C) "Fodder and Feed Development - Feed and Fodder Development" –saving of Rs.229.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2868.00 lakhs) was due to receipt of less proposal from 31 suicide prone districts.

(D) "Administrative Investigation and Statistics - Assistance to UTs without Legislature in Conduct of Livestock Census" - saving of Rs.104.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Union Territories.

(III) Under Major Head "2404" - "Delhi Milk Scheme" - savings occurred under the following heads:–

(का) ''प्रशासन'' - 290.26 लाख रु. की बचत (904.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''संसाधन'' - 124.78 लाख रु. की बचत (2836.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) ''संवितरण'' - 147.82 लाख रु. की बचत (739.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) ''परिवहन'' - 162.94 लाख रु. की बचत (553.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने और कम राजस्व प्राप्तियों की वजह से व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2405'' - ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड'' के अंतर्गत 4050.00 लाख रु. की बचत (9050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 142.65 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत और 28 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (8103.61 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि नवंबर, 2007 में 3.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2403'' - ''पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य'' -

(क) ''व्यावसायिक दक्षता विकस'' - 90.00 लाख रु.।

(A) "Administration" – saving of Rs.290.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.904.00 lakhs);

(B) "Processing" - saving of Rs.124.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2836.50 lakhs);

(C) "Distribution" – saving of Rs.147.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.739.00 lakhs); and

(D) "Transport" – saving of Rs.162.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.553.70 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non-filling up of vacant posts and restriction of expenditure owing to less revenue receipts.

(IV) Under Major Head "2405" - "Other Expenditure - National Fisheries Development Board" - saving of Rs.4050.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9050.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years and reduction of provision at revised estimates stage.

(V) Under two heads savings of Rs.142.65 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 15 percent and 28 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.8103.61 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.3.00 lakhs in November, 2007 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2403" - "Veterinary Services and Animal Health" –

(a) "Professional Efficiency Development" – Rs.90.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.60.30 lakhs.

तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 60.30 लाख रु. था।

(ख) ''पांव और मुंह के रोग नियंत्राण कार्यक्रम'' - 497.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 491.34 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2404'' - ''डेरी विकास परियोजनाएं'' -

(क) ''सहकारिता को सहायता के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को सहायता अनुदान'' - 200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 199.60 लाख रु. था।

(ख) ''सघन डेरी विकास कार्यक्रम'' - 1240.70 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1232.98 लाख रु. था।

(ग) ''डेरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि'' - 899.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 898.60 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - पशु रोग नियंत्राण'' - 3913.00 लाख रु.।

(ख) ''डेरी विकास - डेरी विकास परियोजना'' -

(i) ''गहन डेरी विकास कार्यक्रम'' - 275.30 लाख रु.।

(ii) ''गुणवत्तायुक्त एवं स्वच्छ दूध के लिए आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण'' - 538.75 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 538.46 लाख रु. था।

(ग) ''मछली पालन - समुद्री मछली पालन - मछुआरों का राष्ट्रीय कल्याण और मछली पालन प्रशिक्षण एवं विस्तार'' - 449.86 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 449.71 लाख रु. था।

(b) "Foot and Mouth Diseases Control Programme" - Rs.497.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.491.34 lakhs.

(B) Major Head "2404" – "Dairy Development Projects" –

(a) "Grants-in-aid to NDDB for Assistance to Co-operative" - Rs.200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.199.60 lakhs.

(b) "Intensive Dairy Development Programme" – Rs.1240.70 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1232.98 lakhs.

(c) "Dairy/Poultry Venture Capital Fund" – Rs.899.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.898.60 lakhs.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(a) "Animal Husbandry - Veterinary Services and Animal Health – Animal Disease Control" - Rs.3913.00 lakhs.

(b) "Dairy Development- Dairy Development Project" –

(i) "Intensive Dairy Development Progrmame" – Rs.275.30 lakhs.

(ii) "Strengthening Infrastructure for Quality and Clean Milk" - Rs.538.75 lakhs. Actual excess, however, was Rs.538.46 lakhs.

(c) "Fisheries – Marines Fisheries – National Welfare of Fishermen and Fisheries Training and Extension" – Rs.449.86 lakhs. Actual excess, however, was Rs.449.71 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2404'' - ''दिल्ली दुग्ध योजना - अधिप्राप्ति'' - 3346.93 लाख रु. का अधिक व्यय (15476.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की अधिप्राप्ति के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने और मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2405'' - ''समुद्री मछली पालन - भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण'' - 436.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2840.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मछली पकड़ने वाले पोतों को शुष्क गोदी में रखकर उनकी मरम्मत किए जाने की वजह से निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' -

(क) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पशु पालन - गाय और भैंस विकास'' -

(i) ''मुख्य पशु उत्पाद के उत्पादन का अनुमान लगाने संबंधी एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण'' - 144.48 लाख रु. का अधिक व्यय (490.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''पशुओं की गणना करने में राज्य को सहायता'' - 2252.68 लाख रु. का अधिक व्यय (5190.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और पशुधन की गणना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और लंबित देयताओं का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2404" – "Delhi Milk Scheme – Procurement" - excess of Rs.3346.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15476.30 lakhs) was due to additional requirement of funds for procurement of milk to Delhi Milk Scheme and on account of increase in prices.

(B) Major Head "2405" – "Marine Fisheries - Fishery Survey of India" - excess of Rs.436.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2840.00 lakhs) was due to additional requirement of funds owing to dry docking and repairing of fishing vessels.

(C) Major Head "3601" –

(a) "Grants for Central Plan Schemes - Animal Husbandry - Cattle and Buffalo Development"–

(i) "Integrated Sample Survey on Estimation of Production of Major Livestock Product" - excess of Rs.144.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.490.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Assistance to State in Conduct of Livestock Census" -excess of Rs.2252.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5190.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds for livestock census and clearance of pending liabilities.

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(ख) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(i) ''पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - पशु प्लेग उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 167.00 लाख रु. का अधिक व्यय (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) ''पशु पालन - चारा और चरागाह विकास - चारा और चरागाह विकास'' - 149.46 लाख रु. का अधिक व्यय (771.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) ''कुक्कुट विकास - कुक्कुट विकास के लिए सहायता'' - 449.99 लाख रु. का अधिक व्यय (1393.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्य सरकारों से निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iv) ''मछली पालन - समुद्री मछली पालन - समुद्री मछली पालन अवसंरचना का विकास और पैदावार के बाद के कार्य'' - 550.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एचएसडी तेल सहायता के लिए राज्य सरकार से प्राप्त तात्कालिक अतिरिक्त मांगों को पूरा किए जाने और मछली पकड़ने के बंदरगाहों और मछली अवतरण केंद्रों का निर्माण किए जाने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - मछली पालन - समुद्री मछली पालन - समुद्री मछली पालन, अवसंरचना का विकास और पैदावार के बाद के कार्य'' - 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की

(i) "Animal Husbandry - Veterinary Services and Animal Health –National Project on Rinderpest Eradication" - excess of Rs.167.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs);

(ii) "Animal Husbandry – Feed and Fodder Development – Feed and Fodder Development" - excess of Rs.149.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.771.00 lakhs); and

(iii) "Poultry Development - Assistance for Poultry Development" - excess of Rs.449.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1393.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds from State Governments.

(iv) "Fisheries – Marine Fisheries – Development of Marine Fisheries Infrastructure and Post Harvest Operation" - excess of Rs.550.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs) was due to meeting of urgent additional demands from the State Government for HSD Oil Subsidy and construction of fishing harbours & fish landing centres.

(D) Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan schemes – Fisheries - Marine Fisheries – Development of Marine Fisheries, Infrastructure and Post Harvest Operations" - excess of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to additional requirement by UT of Pondicherry for construction of ongoing fishing harbour.

तुलना में) मछली पकड़ने के निर्माणाधीन बंदरगाह के लिए पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रा द्वारा अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 80.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान 80 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(I) ''समुद्री मछली पालन - भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण'' के अंतर्गत 752.92 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मछली पकड़ने वाले जलयानों के निर्माण में विलंब होने और मुंबई उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की वजह से कार्यालय भवन का निर्माण न होने के कारण हुई।

(II) ''विस्तार और प्रशिक्षण - केंद्रीय मत्स्य पालन समुद्री एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान'' के अंतर्गत 831.86 लाख रु. की बचत (850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मछली पकड़ने वाले जलयान के निर्माण में विलंब होने के कारण हुई।

(III) Under one head excess of Rs.80.00 lakhs occurred constituting 80 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4405'' मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4405" Capital Outlay on Fisheries				
मू.	O.	1680.00	147.00	101.78	–45.22
पु.	R.	–1533.00			

(I) Under "Marine fisheries - Fishery Survey of India" - saving of Rs.752.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to delay in construction of fishing vessel and non-construction of office building owing to stay order of Mumbai High Court.

(II) Under "Extension and Training - Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training" - saving of Rs.831.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.850.00 lakhs) was due to delay in construction of fishing vessel.